

**बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग**

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक-12/01/2026

संख्या-14/पै०-308/2025-787 /सा०प्र०-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक-11.04.2019 से 13.10.2023 के बीच बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-14) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ दिया जाता है:-

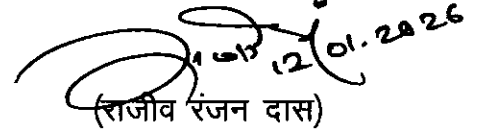
क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, गृह जिला,	वर्तमान कोटि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2011/2019 के अनुसार)	सेवानिवृत्ति की तिथि (वैचारिक रूप से अनुमान्यता)	वास्तविक देयता की तिथि (दिनांक-04.10.25)
1	2	4	4	5	6
1.	कुमार रामानुज, भागलपुर	अपर सचिव	464 / 10	31.01.21	04.10.25
2.	अजय कुमार सिन्हा, गोपालगंज	अपर सचिव	475 / 12	31.01.20	04.10.25
3.	डॉ० राजीव कुमार, मुंगेर	अपर सचिव	476 / 13	31.07.20	04.10.25
4.	मुकेश दत्त शर्मा, दिल्ली	अपर सचिव	481 / 14	29.02.20	04.10.25
5.	रामजी साह, भोजपुर	उप सचिव	486	30.11.19	04.10.25
6.	खालिद अरसद, भोजपुर	उप सचिव	497 / 20	31.01.21	04.10.25
7.	रामरूप प्रसाद, मुंगेर	अपर सचिव	498 / 21	31.12.19	04.10.25
8.	आमोद कुमार शरण, सारण	अपर सचिव	530 / 43	31.01.20	04.10.25
9.	अखिलेश कुमार झा, भागलपुर	अपर सचिव	533 / 46	31.12.20	04.10.25

12/01/2026

10.	मो० अंसार अहमद, दरभंगा	अपर सचिव	534 / 47	31.01.20	04.10.25
-----	------------------------------	----------	----------	----------	----------

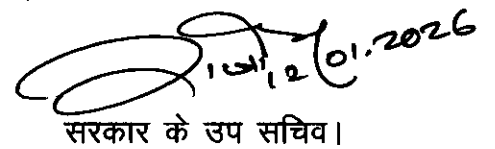
- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन है।
- उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जायेगा, इसलिए इस क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आधार पर मात्र पेंशन का पुनर्निर्धारण दिनांक-04.10.2025 से करते हुए पेंशन का भुगतान अनुमान्य होगा।
- विभागीय अधिसूचना-18775, दिनांक-04.10.2025 के आलोक में उपर्युक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी कार्य महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना के स्तर से अपेक्षित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/पें०-308/2025- 787 /सा०प्र० पटना-15, दिनांक- 12/01/2026
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29 (बि०प्र०से० चारित्री कोषांग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।